2023 का विधेयक संख्यांक 7

हिमाचल प्रदेश नगर निगम (संशोधन) विधेयक, 2023

(विधानसभा में पुरःस्थापित रूप में)

हिमाचल प्रदेश नगर निगम (संशोधन) विधेयक, 2023

खण्डों का क्रम

खण्ड:

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ।
2. धारा 6 का संशोधन।
3. निरसन और व्यावृत्ति।

2023 का विधेयक संख्यांक 7

हिमाचल प्रदेश नगर निगम (संशोधन) विधेयक, 2023

(विधानसभा में पुरःस्थापित रूप में)

हिमाचल प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1994 (1994 का अधिनियम संख्यांक 12) का और संशोधन करने के लिए **विधेयक**।

भारत गणराज्य के चौहत्तरवें वर्ष में हिमाचल प्रदेश विधानसभा द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ।

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश नगर निगम (संशोधन) अधिनियम, 2023 है।

(2) यह 24 जनवरी, 2023 से प्रवृत्त हुआ समझा जाएगा।

धारा 6 का संशोधन।

2. हिमाचल प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1994 की धारा 6 के खण्ड (क) के परन्तुक में, "इकतालीस" शब्द के स्थान पर "चौंतीस" शब्द रखा जाएगा।

निरसन और व्यावृत्ति।

3. (1) हिमाचल प्रदेश नगर निगम (संशोधन) अध्यादेश, 2023 का एतद्द्वारा निरसन किया जाता है।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी इस प्रकार निरसित अध्यादेश के अधीन की गई कोई बात या कार्रवाई इस अधिनियम के तत्स्थानी उपबन्धों के अधीन विधिमान्य रूप में की गई समझी जाएगी।

उद्देश्यों और कारणों का कथन

हिमाचल प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1994 की धारा 6 नगर निगम में निर्वाचन द्वारा भरे जाने वाले स्थानों की अधिकतम संख्या सहित पार्षदों के निर्वाचन के प्रयोजन के लिए वार्डों के परिसीमन को उपबन्धित करती है। हिमाचल प्रदेश सरकार ने हिमाचल प्रदेश नगर निगम (संशोधन) अधिनियम, 2022 (2022 का अधिनियम संख्यांक 10) द्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा भरे जाने वाले कुल स्थानों की अधिकतम संख्या को विद्यमान 37 से 41 तक बढ़ाया है। राज्य में 05 (पांच) नगर निगम नामतः शिमला, धर्मशाला, मण्डी, सोलन और पालमपुर है। क्रमशः 1,69,578 जनसंख्या वाले नगर निगम, शिमला को 34 (चौंतीस) वार्डों, 53,453 जनसंख्या वाले नगर निगम, धर्मशाला को 17 वार्डों, 41,375 जनसंख्या वाले नगर निगम, मंण्डी को 15 वार्डों, 47,418 जनसंख्या वाले नगर निगम, सोलन को 17 वार्डों और 40,385 जनसंख्या वाले नगर निगम, पालमपुर को 15 वार्डों में विभाजित किया गया है।

नगर निगम, शिमला में वार्डों की अधिकतम संख्या को विद्यमान 41 से घटाकर 34 किए जाने की आवश्यकता है। नगर निगम, शिमला की जनसंख्या अधिकतम है और इसके प्रति वार्ड की औसत जनसंख्या 4,987 है, जो कि किसी वार्ड, जो नगर निगम की आधारभूत प्रशासनिक इकाई है, के लिए आदर्श जनसंख्या प्रतीत होती है और नये वार्डों का सृजन कर इसे कम करने से अनावश्यक प्रशासनिक हस्तक्षेप होगा तथा इससे नगर निगम के स्रोतों पर वित्तीय बोझ पड़ेगा। इसलिए, नगर निगम में वार्डों की अधिकतम संख्या को 41 से कम करके 34 किया जाना समुचित होगा।

चूंकि हिमाचल प्रदेश विधान सभा सत्र में नहीं थी और नगर निगम शिमला के आगामी निर्वाचनों के दृष्टिगत हिमाचल प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1994 (1994 का अधिनियम संख्यांक 12) में संशोधन किया जाना अत्यावश्यक था, इसलिए, हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल द्वारा भारत के संविधान के अनुच्छेद 213 के खण्ड (1) के अधीन प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए, 23 जनवरी, 2023 को हिमाचल प्रदेश नगर निगम (संशोधन) अध्यादेश, 2023 (2023 का अध्यादेश संख्यांक 1) प्रख्यापित किया गया था, जिसे राजपत्र (ई–गजट), हिमाचल प्रदेश में 24 जनवरी, 2023 को प्रकाशित किया गया था। अब, उक्त अध्यादेश को बिना किसी उपान्तरण के नियमित अधिनियमिति द्वारा प्रतिस्थापित किया जा रहा है।

यह विधेयक उपर्युक्त उद्देश्यों की पूर्ति के लिए है।

(सुखविंदर सिंह सुक्खू)
मुख्य मंत्री।

शिमलाः
तारीख..................2023

वित्तीय ज्ञापन

—शून्य—

प्रत्यायोजित विधान सम्बन्धी ज्ञापन

—शून्य—

हिमाचल प्रदेश नगर निगम (संशोधन) विधेयक, 2023

हिमाचल प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1994 (1994 का अधिनियम संख्यांक 12) का और संशोधन करने के लिए **विधेयक।**

(सुखविंदर सिंह सुक्खू)
मुख्य मंत्री।

(शरद कुमार लगवाल)
सचिव (विधि)।

शिमलाः
तारीख............................ 2023

इस संशोधन विधेयक द्वारा सम्भाव्य प्रभावित होने वाले हिमाचल प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1994 (1994 का अधिनियम संख्यांक 12) के उपबन्धों के उद्धरण:–

धारा:

6. वार्डों का परिसीमन.—पार्षदों के निर्वाचन के प्रयोजनों के लिए उपायुक्त, ऐसे नियमों के अनुसार जो राज्य सरकार द्वारा विहित किए गए हों,–

(क) नगरपालिका क्षेत्र को वार्डों में निम्नलिखित रीति के अनुसार विभक्त करेगा,–

(i) प्रत्येक वार्ड से एक पार्षद निर्वाचित होगा; और

(ii) प्रत्येक वार्ड की, जहां तक संभव हो, जनसंख्या को समान रूप से बांटा जाएगा:

परन्तु प्रत्येक वार्ड में जनसंख्या 2500 से कम नहीं होगी और सीधे निर्वाचन द्वारा भरे जाने वाले स्थानों की कुल संख्या "इकतालीस" से अधिक नहीं होगी;

(ख) प्रत्येक वार्ड के क्षेत्र को अवधारित करेगा; और

(ग) इस अधिनियम के अधीन ऐसे वार्ड या वार्डों का अवधारण करेगा जहां स्थान आरक्षित किए गए हैं।

AUTHORITATIVE ENGLISH TEXT

BILL NO. 7 OF 2023

THE HIMACHAL PRADESH MUNICIPAL CORPORATION (AMENDMENT) BILL, 2023

(AS INTRODUCED IN THE LEGISLATIVE ASSEMBLY)

THE HIMACHAL PRADESH MUNICIPAL CORPORATION (AMENDMENT) BILL, 2023

ARRANGMENT OF CLAUSES

Clauses:

1. Short title and commencement.

2. Amendment of section 6.

3. Repeal and saving.

Bill No. 7 of 2023

THE HIMACHAL PRADESH MUNICIPAL CORPORATION (AMENDMENT) BILL, 2023

(AS INTRODUCED IN THE LEGISLATIVE ASSEMBLY)

A

BILL

further to amend the Himachal Pradesh Municipal Corporation Act, 1994 (Act No.12 of 1994).

BE it enacted by the Legislative Assembly of Himachal Pradesh in the Seventy-fourth Year of the Republic of India as follows:—

Short title and commencement.

1. This Act may be called the Himachal Pradesh Municipal Corporation (Amendment) Act, 2023.

(2) It shall be deemed to have come into force on the 24th day of January, 2023.

Amendment of section 6.

2. In section 6 of Himachal Pradesh Municipal Corporation Act, 1994, in clause (a), in the proviso, for the words "forty one", the words "thirty four" shall be substituted.

Repeal and saving.

3. The Himachal Pradesh Municipal Corporation (Amendment) Ordinance, 2023 is hereby repealed.

(2) Notwithstanding such repeal any action taken or anything done under the Ordinance so repealed, shall be deemed to have been done or taken under the corresponding provisions of this Act.

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

Section 6 of the Himachal Pradesh Municipal Corporation Act, 1994 provides for delimitation of wards for the purpose of election of Councillors in the Municipal Corporation including maximum numbers of seats to be filled by election. The Government of Himachal Pradesh vide Himachal Pradesh Municipal Corporation (Amendment) Act, 2022 (Act No.10 of 2022), has increased the maximum number of total seats to be filled by direct election from existing 37 to 41. There are 05 Municipal Corporations namely; Shimla, Dharamshala, Mandi, Solan and Palampur in the State. Municipal Corporation Shimla having population of 169578 is divided into 34 wards, Municipal Corporation Dharmahsala having population of 53543 is divided into 17 wards, Municipal Corporation Mandi having population of 41375 is divided into 15 wards, Municipal Corporation Solan having population of 47418 is divided into 17 wards and Municipal Corporation Palampur having population 40385 is divided into 15 wards, respectively.

There is need to reduce the maximum number of wards from existing 41 to 34 in respect of Municipal Corporation Shimla. Municipal Corporation, Shimla is having the highest population and has an average population of 4987 per ward, which appears to be ideal population for a ward, which is the basic administrative unit of Municipal Corporation and to reduce it, further by creating new wards would create unnecessary administrative involvement and financial burden on the resources of Municipal Corporation. Therefore, it would be appropriate to decrease the maximum number of wards from 41 to 34 in the Municipal Corporation(s).

Since, the Himachal Pradesh Legislative Assembly was not in session and the Himachal Pradesh Municipal Corporation Act, 1994 (Act No.12 of 1994) had to be amended urgently in view of the coming elections of the Municipal Corporation Shimla, therefore, the Governor, Himachal Pradesh , in exercise of the powers conferred by clause (1) of article 213 of the Constitution of India promulgated the Himachal Pradesh Municipal Corporation (Amendment) Ordinance, 2023(Ordinance No. 1 of 2023) on 23.01.2023 and the same was published in the Rajpatra (e-Gazette), Himachal Pradesh on 24.01.2023. Now, the said Ordinance is being replaced by a regular enactment without any modification.

This Bill seeks to achieve the aforesaid objectives.

(SUKHVINDER SINGH SUKHU)
Chief Minister.

SHIMLA:
The............., 2023

FINANCIAL MEMORANDUM

—Nil—

MEMORANDUM REGARDING DELEGATED LEGISLATION

—Nil—

THE HIMACHAL PRADESH MUNICIPAL CORPORATION (AMENDMENT) BILL, 2023

A

BILL

further to amend the Himachal Pradesh Municipal Corporation Act, 1994 (Act No. 12 of 1994).

(SUKHVINDER SINGH SUKHU)
Chief Minister.

(SHARAD KUMAR LAGWAL)
Secretary (Law).

SHIMLA
THE............., 2023

EXTRACT OF THE PROVISIONS OF THE HIMACHAL PRADESH MUNICIPAL CORPORATION ACT, 1994 (ACT NO. 12 OF 1994) LIKELY TO BE AFFECTED BY THIS AMENDMENT BILL.

Section:

6. **Delimitation of wards.**—For the purposes of election of Councillors the Deputy Commissioner shall, in accordance with such rules as may be, prescribed by the State Government,—

(a) divide the municipal area into wards in such a manner that,—

(i) one Councillor shall be elected from each ward; and

(ii) as far as possible the population in each ward shall be equally distributed:

Provided that the population in each ward shall not be less than 2500 and the number of total seats to be filled by direct election shall not exceed forty one;

(b) determine the territorial extent of each ward; and

(c) determine the ward or wards in which seats are reserved under this Act.